

उत्तर प्रदेश सरकार
सूचना अनुभाग-1
संख्या-1490/उन्नीस-1-98-152/92
लखनऊ :: दिनांक अक्टूबर 16, 1998

अधिसूचना

-प्रकीर्ण-

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग गैर तकनीकी (अराजपत्रित) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा के शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग गैर तकनीकी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1998
भाग-एक सामान्य

- | | | |
|---------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (i) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग गैर तकनीकी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1998 कही जायेगी।
(ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| सेवा की प्रास्थिति | 2. | उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग गैर तकनीकी (अराजपत्रित) सेवा में समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं। |
| परिभाषाएं | 3. | जब तक विषय या संदर्भ में कोई पूर्व बात न हो इस नियमावली में :-
(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य निदेशक से है ;
(ख) पिछड़े वर्गों का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;
(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;
(घ) 'संविधान' का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है
(ङ) 'निदेशक' का तात्पर्य "निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश" से है ;
(च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;
(छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
(ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ; |

(झ) 'सेवा का तात्पर्य' उत्तर प्रदेश सूचना एवं जन संपर्क विभाग गैर तकनीकी (अराजपत्रित) सेवा से है।

(ज) 'मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(ट) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ;

भाग दो- संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (i) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(ii) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है ;

परन्तु :-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों की सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन- भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-

(1) रिपोर्टर

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिकों में से जो वेतनमान रूपये 5000-150-8000 और रूपये 4500-125-7000 में हों, और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

(2) आशुलिपिक (वेतनमान 5000-150-8000 रू०)

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिकों में से जो 4500-125-7000 रूपये में हो, और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति

(3) आशुलिपिक (वेतनमान
4500-125-7000 रू0)

(4) आशुलिपिक (वेतनमान
4000-100-6000 रू0)

आशुलिपिक एवं
पुस्तकालयाध्यक्ष

(5) अनुवादक/उप सम्पादक

(6) संवीक्षक

(7) प्रदर्शक/स्वागतकर्ता/
प्रभारी, महिला एवं बालकक्ष

(8) रोकड़िया

(9) सहायक शोध अधिकारी

द्वारा।

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिकों में से जो 4000-100-6000 रूपये में हो, और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

सीधी भर्ती द्वारा।

(एक) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त स्वागतकर्ता, प्रभारी महिला एवं बालकक्ष, प्रदर्शक, निर्देश सहायकों और संवीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो अनुवादक/उप सम्पादक के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता पूरी करते हों, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

(एक) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त लिपिक एवं भण्डारक, भण्डारक, लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, बण्डल लिपटर, कापी राइटर, रेडियो लिपिक, रेडियो भण्डार लिपिक, महिला परिचर, टेलीप्रिंटर परिचर, लिपिक एवं लेखाकार, टेलीप्रिंटर ऑपरेटर, लिपिक हूज-हू, टेलीप्रिंटर ऑपरेटर एवं टंकक, समाचार पत्र सहायक, पुस्तकालय सहायक, टंकक, टंकक (उर्दू), प्रूफ रीडर और कातिब में से जो संवीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता रखते हों, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

सीधी भर्ती द्वारा।

मौलिक रूप से नियुक्त लिपिक एवं भण्डारक, भण्डारक, लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, बण्डल लिपटर, कापी राइटर, रेडियो लिपिक, रेडियो भण्डार लिपिक, महिला परिचर, टेलीप्रिंटर परिचर, लिपिक एवं लेखाकार, टेलीप्रिंटर ऑपरेटर, लिपिक हूज-हू, टेलीप्रिंटर ऑपरेटर एवं टंकक, समाचार पत्र सहायक, टंकक, टंकक (उर्दू), प्रूफ रीडर और कातिब में से, जिन्होंने किसी पद पर तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

मौलिक रूप से नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष एवं निर्देश लिपिकों, सूचीकार एवं तकनीकी सहायकों में से चयन

- समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
- (10) पुस्तकालयाध्यक्ष
मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
परन्तु यदि पात्र एवं उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त पुस्तकालय सहायक को सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।
- (11) सूचीकार/तकनीकी सहायक/निर्देश सहायक
सीधी भर्ती।
- (12) क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी
सीधी भर्ती द्वारा।
- (13) सांख्यिकी सहायक
मौलिक रूप से नियुक्त अन्वेषक एवं संगणक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
- (14) अन्वेषक एवं संगणक
सीधी भर्ती द्वारा।
- (15) लेखाकार
मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखाकारों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
- टिप्पणी :-** ऐसे सहायक लेखाकारों को जो 01 अप्रैल, 1965 के पूर्व नियुक्त किये गये थे और 5000-8000 रुपये के वेतनमान में हैं, भी अन्य सहायक लेखाकारों के साथ लेखाकार के पद पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।
- (16) सहायक लेखाकार
मौलिक रूप से नियुक्त लेखा लिपिकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
- (17) लेखा लिपिक
मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ लेखा लिपिकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
- (18) कनिष्ठ लेखा लिपिक
सीधी भर्ती द्वारा।
- (19) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक
मौलिक रूप से नियुक्त लेखा परीक्षकों में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति के द्वारा।
- (20) लेखा परीक्षक
सीधी भर्ती द्वारा।
- (21) प्रशासनिक अधिकारी
मौलिक रूप से नियुक्त कार्यालय अधीक्षक, ज्येष्ठ सहायकों, निर्देश लिपिकों और ज्येष्ठ रोकड़ियों में जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(22) कार्यालय अधीक्षक

मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ सहायकों, ज्येष्ठ रोकड़ियों और निर्देश लिपिकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

(23) ज्येष्ठ सहायक/ ज्येष्ठ रोकड़िया/निर्देश लिपिक

मौलिक रूप से नियुक्त रोकड़िया, लिपिक एवं भण्डारक, भण्डारक, लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, बण्डल लिफ्टर, कापी राइटर, रेडियो लिपिक, रेडियो भण्डार लिपिक, महिला परिचर, टेलीप्रिंटर परिचर, लिपिक एवं लेखाकार, टेलीप्रिंटर प्रचालक, लिपिक हूज-हू, टेलीप्रिंटर प्रचालक एवं टंकक, समाचार पत्र सहायक, टंकक, टंकक (उर्दू), प्रूफ रीडर और कातिब में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

(24) लिपिक एवं भण्डारक, भण्डारक, लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, बण्डल लिफ्टर, कापी राइटर, रेडियो लिपिक, रेडियो भण्डार लिपिक, महिला परिचर, टेलीप्रिंटर परिचर, लिपिक एवं लेखाकार, टेलीप्रिंटर प्रचालक, लिपिक हूज-हू, टेलीप्रिंटर प्रचालक एवं टंकक, समाचार पत्र सहायक, पुस्तकालय सहायक, टंकक, टंकक (उर्दू), प्रूफ रीडर और कातिब

(एक) अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) पन्द्रह प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त हाईस्कूल उत्तीर्ण समूह 'घ' कर्मचारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति रखते हों चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

(25) मोटर साइकिल रनर

(तीन) पांच प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण समूह 'घ' कर्मचारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति रखते हों, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

मौलिक रूप से नियुक्त हाईस्कूल उत्तीर्ण समूह 'घ' कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर साइकिल चलाने का अनुभव और लाइसेंस हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(26) पर्यवेक्षक, ग्रामीण प्रसारण

(एक) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त सहायक पर्यवेक्षक, ग्रामीण प्रसारण में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(27) सहायक पर्यवेक्षक ग्रामीण प्रसारण

सीधी भर्ती द्वारा।

(28) अपर जिला सूचना अधिकारी (हिन्दी)

(एक) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त केयरटेकर में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस

- (29) अपर जिला सूचना अधिकारी (उर्दू)
 (30) केयरटेकर
 (31) चलचित्र प्रचालक एवं प्रचार सहायक

रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
 सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिये आरक्षण, समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार— अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक कि अभ्यर्थी ;
 (क) भारत का नागरिक हो ; या
 (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या
 (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तागानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो ;
 परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;
 परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें ;
 परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और

टिप्पणी

ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएं

8 सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :-

पद

1. आशुलिपिक / आशुलिपिक एवं पुस्कालयाध्यक्ष (वेतनमान 4000-6000 रूपये)

अर्हता:-

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।

(दो) हिन्दी आशुलिपि में अस्सी शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी टंकण में तीस शब्द प्रति मिनट की गति।

अधिमानी - अंग्रेजी आशुलिपि और अंग्रेजी टंकण का ज्ञान।

2. उप-सम्पादक

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता जिसमें हिन्दी एक विषय रहा हो, अवश्य रखता हो, और माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।

(2) किसी संगठन में या समाचार-पत्र, पत्रिका या समाचार अभिकरण में सम्पादन का एक वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिए।

अधिमानी - हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का ज्ञान।

(2क) उप-सम्पादक (उर्दू)

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता जिसमें उर्दू एक विषय रहा हो, अवश्य रखता हो, और माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अंग्रेजी और हिन्दी विषयों के साथ अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।

(2) किसी संगठन में या समाचार-पत्र, पत्रिका या समाचार अभिकरण में सम्पादन का एक वर्ष का अनुभव

- अवश्य होना चाहिए।
- अधिमानी** – हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का ज्ञान।
3. अनुवादक
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, अवश्य रखता हो, और माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें हिन्दी एक विषय रहा हो, अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।
- अधिमानी** – अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में स्नातक उपाधि।
4. अनुवादक (उर्दू)
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता जिसमें उर्दू एक विषय रहा हो, अवश्य रखता हो, और माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।
- अधिमानी** – उर्दू के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में स्नातक उपाधि।
5. संवीक्षक (हिन्दी)
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, जिसमें हिन्दी एक विषय रहा हो, अवश्य रखता हो।
- अधिमानी** – हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषा का ज्ञान।
6. संवीक्षक (उर्दू)
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, जिसमें उर्दू एक विषय रहा हो, अवश्य रखता हो।
- अधिमानी** – उर्दू के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का ज्ञान।
7. संवीक्षक (अंग्रेजी)
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, अवश्य रखता हो।
- अधिमानी** – अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषा का ज्ञान।
8. प्रदर्शक
(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, अवश्य रखता हो।
(2) प्रचार कार्य में पांच वर्ष का अनुभव।
(3) राज्य और देश की विकास योजनाओं का ज्ञान।

9. स्वागतकर्ता
- (4) धारा प्रवाह हिन्दी और अंग्रेजी बोलने की क्षमता।
 (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
 (2) किसी सरकारी या ख्याति प्राप्त सरकारी या निजी संगठन में स्वागतकर्ता के कार्य का दो वर्ष का अनुभव।
 (3) हिन्दी और अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलने की क्षमता।
10. प्रभारी, महिला एवं बाल कक्ष
- (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
 (2) हिन्दी और अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलने की क्षमता।
11. सूचीकार/तकनीकी सहायक/निर्देश सहायक
- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्यक उत्तीर्ण होना चाहिए।
 (2) पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र।
12. क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी
- (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।
 (2) किसी सरकारी विभाग में दृश्य प्रचार का अनुभव अवश्य होना चाहिए।
13. अन्वेषक एवं संगणक
- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, जिसमें गणित या सांख्यिकी एक विषय रहा हो।
14. कनिष्ठ लेखा-लिपिक
- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें वाणिज्य के साथ एकाउन्टेंसी एक विषय रहा हो, अवश्य उत्तीर्ण हो।
15. लेखा परीक्षक
- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य, जिसमें लेखा परीक्षा और एकाउन्टेंसी एक विषय रहा हो, में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि हो।
16. लिपिक एवं भण्डारक, भण्डारक लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, बण्डल लिफ्टर, कापी राइटर, रेडियो लिपिक, रेडियो भण्डार लिपिक, महिला परिचर, टेलीप्रिन्टर परिचर, लिपिक एवं लेखाकार, टेलीप्रिन्टर प्रचालक, लिपिक हूज-हू, टेलीप्रिन्टर प्रचालक
- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्यक उत्तीर्ण होना चाहिए।
 (2) हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति अवश्य होनी चाहिए।
 (3) उर्दू टंकण के पद के लिये अभ्यर्थी के पास उर्दू टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति भी अवश्य होनी चाहिए।

एवं टंकक, समाचार पत्र सहायक, पुस्तकालय सहायक, टंकक, टंकक (उर्दू), प्रूफ रीडर और कातिब

17. पर्यवेक्षक, ग्रामीण प्रसारण

18. सहायक पर्यवेक्षक, ग्रामीण प्रसारण

19. अपर जिला सूचना अधिकारी (हिन्दी)

20. अपर जिला सूचना अधिकारी (उर्दू)

(4) टेलीप्रिंटर प्रचालक, टेलीप्रिंटर परिचर और टेलीप्रिंटर प्रचालक एवं टंकक के पदों के लिए अभ्यर्थी के पास टेलीप्रिंटर प्रचालन का एक वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए।

(5) प्रूफ रीडर के पद के लिए अभ्यर्थी के पास प्रूफ रीडिंग का एक वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए।

(6) कातिब के पद के लिए अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें उर्दू एक विषय रहा हो, अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

(2) देवनागरी लिपि में हिन्दी का अच्छा ज्ञान और उर्दू भाषा का कार्यकारी ज्ञान।

(3) लेख, लघु कथायें, कवितायें और नाटक लिखने में रुचि।

अधिमानी – ग्रामीणों के जीवन, प्रकृति और विचार का ज्ञान, रिपोर्ट तैयार करने या लेख लिखने का ज्ञान और रेडियो प्रसारण का ज्ञान।

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

(2) देवनागरी लिपि में हिन्दी का अच्छा ज्ञान।

(3) ग्रामीण जीवन और कृषि तथा अन्य समस्याओं का ज्ञान।

(4) राज्य भाषाओं और संस्कृति का ज्ञान।

अधिमानी – पत्रकारिता और प्रचार क्षेत्र में अनुभव।

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, जिसमें हिन्दी एक विषय रहा हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।

अधिमानी – ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा, जिसने हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषा में उपाधि प्राप्त की हो।

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, जिसमें उर्दू एक विषय रहा हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट

		परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।
		अधिमानी – उर्दू के अतिरिक्त अन्य भाषा में स्नातक की उपाधि।
21. केयरटेकर		भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, जिसमें हिन्दी एक विषय रहा हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो।
22. चलचित्र प्रचालक एवं प्रचार सहायक		(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो। (2) उसके पास 16/35 एम0एम0 मशीन प्रचालन के लिए समक्ष प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत लाइसेन्स अवश्य होना चाहिए। (3) हिन्दी का अच्छा ज्ञान।
अधिमानी अर्हताएं	9.	अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा। जिसने : (एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
आयु	10.	सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञप्ति की जाय, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 32 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो : परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।
चरित्र	11	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।
टिप्पणी		संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के

- स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
- वैवाहिक प्रास्थिति 12. नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :
- परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।
- शारीरिक स्वस्थता 13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाय।
- परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच— भर्ती की प्रक्रिया

- रिक्तियों का अवधारण 14. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।
- सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती, उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली-1998 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

टिप्पणी : चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों का नाम-निर्देशन समय-समय पर यथासंशोधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा-7 के अधीन दिये गये आदेशों के अधीन किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियाँ उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा :

परन्तु जहां दो या अधिक पोषक संवर्ग हों :-

(क) भिन्न-भिन्न वेतनमान होने पर उच्च वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(ख) समान वेतनमान होने पर अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने-अपने संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में पात्रता सूची में रखे जायेंगे। किन्तु यदि दो से अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति का दिनांक एक ही हो तो ऐसी स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी का नाम पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और वह आवश्यक समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

17. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों स्रोतों द्वारा की जाती हैं, तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग—छ: —नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।
- (2) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाये और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाये।
- (3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाय। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखा जायेगा।

परीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जायेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें निश्चित दिनांक विनिर्दिष्ट की जायेगी, जब तक अवधि बढ़ायी जाये :
- परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।
- (3) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवाये समाप्त की जा

सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम(3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रेरणार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

20

(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय; और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के नियमों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति में परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

21

सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग-सात-वेतन इत्यादि

वेतनमान

22

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23

(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी

कर दिया गया हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पदधारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षतारोक पार का मानदण्ड 24 किसी व्यक्ति को दक्षतारोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग—आठ—अन्य उपबन्ध

- पक्ष समर्थन 25 किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहें लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।
- अन्य विषयों का विनियमन 26 ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।
- सेवा की शर्तों से शिथिलता 27 जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हे वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है;
- व्यावृत्ति 28 इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
अनुराग गोयल
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट
नियम 4 (2) और 24 (2) देखिये

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान (रूपये)	पदों की संख्या		
			स्थायी	अस्थायी	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	रिपोर्टर	5500—175—9000	—	4	4
2.	प्रशासनिक अधिकारी	तदैव	7	—	7
3.	पर्यवेक्षक, ग्रामीण प्रसारण	5000—150—8000	2	—	2
4.	आशुलिपिक	तदैव	1	—	1
5.	अनुवादक	तदैव	17	—	17
6.	अनुवादक (उर्दू)	तदैव	3	—	3
7.	उप सम्पादक	तदैव	2	—	2
8.	उप सम्पादक (उर्दू)	तदैव	1	—	1
9.	क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी	तदैव	4	13	17
10.	लेखाकर	तदैव	1	—	1
11.	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	तदैव	—	2	2
12.	कार्यालय अधीक्षक	तदैव	1	—	1
13.	सांख्यिकी सहायक	तदैव	1	—	1
14.	सहायक शोध अधिकारी	तदैव	—	2	2
15.	आशुलिपिक	4500—125—7000	10	—	10
16.	अपर जिला सूचना अधिकारी (हिन्दी)	तदैव	—	63	63
17.	अपर जिला सूचना अधिकारी (उर्दू)	तदैव	—	17	17
18.	ज्येष्ठ रोकड़िया	तदैव	1	—	1
19.	पुस्तकालयाध्यक्ष	तदैव	1	1	2
20.	सहायक लेखाकार	तदैव	9	1	10
21.	ज्येष्ठ सहायक	तदैव	40	—	40
22.	निर्देश लिपिक	तदैव	6	—	6
23.	सहायक पर्यवेक्षक ग्रामीण प्रसारण	तदैव	1	—	1
24.	संवीक्षक (हिन्दी)	तदैव	4	—	4
25.	संवीक्षक (उर्दू)	तदैव	4	—	4
26.	संवीक्षक (अंग्रेजी)	तदैव	4	—	4
27.	निर्देश सहायक	तदैव	3	1	4

28.	प्रदर्शक	तदैव	1	—	1
29.	स्वागतकर्ता	तदैव	1	—	1
30.	प्रभारी महिला एवं बालकक्ष	तदैव	1	—	1
31.	सूचीकार	तदैव	2	1	3
32.	तकनीकी सहायक	तदैव	1	—	1
33.	अन्वेषक एवं संगणक	तदैव	2	—	2
34.	आशुलिपिक	4000—100—6000	2	13	15
35.	आशुलिपिक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष	तदैव	1	—	1
36.	रोकड़िया	तदैव	1	—	1
37.	सहायक लेखाकार एवं रोकड़िया	तदैव	1	—	1
38.	लेखा परीक्षक	तदैव	—	6	6
39.	लेखा लिपिक	तदैव	57	6	63
40.	कनिष्ठ लेखा लिपिक	3050—75—3950—80—45 90	4	63	67
41.	लिपिक एवं भण्डारक	तदैव	2	—	2
42.	भण्डारक	तदैव	3	—	3
43.	लिपिक	तदैव	1	—	1
44.	कनिष्ठ लिपिक	तदैव	62	—	62
45.	बण्डल लिपटर	तदैव	2	—	2
46.	कापी राइटर	तदैव	1	—	1
47.	रेडियो लिपिक	तदैव	1	—	1
48.	रेडियो भण्डारक लिपिक	तदैव	1	—	1
49.	महिला परिचर	तदैव	1	—	1
50.	टेलीप्रिन्टर परिचर	तदैव	3	—	3
51.	लिपिक एवं लेखाकार	तदैव	1	—	1
52.	टेलीप्रिन्टर प्रचालक	तदैव	12	—	12
53.	लिपिक हूज—हू	तदैव	1	—	1
54.	टेलीप्रिन्टर प्रचालक एवं टंकक	तदैव	2	3	5
55.	समाचार पत्र सहायक	तदैव	1	—	1
56.	पुस्तकालय सहायक	तदैव	1	—	1
57.	टंकक	तदैव	3	—	3
58.	टंकक (उर्दू)	तदैव	1	—	1
59.	प्रूफ रीडर	तदैव	1	—	1
60.	कातिब	तदैव	1	—	1
61.	केयरटेकर	तदैव	57	6	63

62.	चलचित्र प्रचालक एवं प्रचार सहायक	तदैव	—	63	63
63.	मोटर साइकिल रनर	तदैव	2	3	5

(1) सहायक टेलीविजन अभियन्ता

(एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अवर टेलीविजन अभियन्ताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में, पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(2) अवर टेलीविजन अभियन्ता

(एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त टेलीविजन टेकनीशियन में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में, पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) टेलीविजन टेकनीशियन

चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(4) साउण्ड मैकेनिक

(एक) पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त साउण्ड रिकार्डिस्ट में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में, पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(5) साउण्ड रिकार्डिस्ट

चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(6) प्रशासक एवं भण्डार क्रय अधिकारी

मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियन्ताओं और टेक्नीकल सुपरवाइजर में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में, पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

(7) अवर अभियन्ता

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(8) टेकनिकल सुपरवाइजर

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(9) चीफ आर्टिस्ट कम विजुलाइजर

मौलिक रूप से नियुक्त आर्टिस्ट में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(10) आर्टिस्ट

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।